


# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम मालचन्द पुत्र रामदेव रेगर निवासी कुचामनसिटी		
प्रा.पत्र नम्बर 189/2021		GCMS No.2021/236
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13/01/2022	<p>वकील अप्रार्थी श्री राजेश गुर्जर एवं अप्रार्थी मालचन्द पुत्र रामदेव रेगर कुचामनसिटी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 457/207, 460/206, 469/207 में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिया जा रहा है तथा किसी प्रकार से वाणिज्य/आवासीय प्रयोग में नहीं लिया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी से भूमि रूपान्तरित करवाई जाकर ही उपयोग में लिया जावेगा। इसलिए अप्रार्थी के विरुद्ध की गई धारा 212 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।</p> <p>प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपन-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.06.2021 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
 <b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>कुचामन सिटी ( नागौर )</b>		